भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 985

26 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति

985. श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

श्री जयंत सिन्हा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान इस्पात निर्यात के आंकड़े क्या हैं;

(ख) स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) स्टील स्क्रैप इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित विघटन और शेर्डिंग क्रिया-कलाप सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या उक्त नीति के अंतर्गत कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान तैयार इस्पात के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तैयार इस्पात निर्यात	
वर्ष	**मात्रा (मिलियन टन में)**
2016-17	8.24
2017-18	9.62
2018-19	6.36

2019-20	8.36
2020-21	10.78
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति	

(ख) से (घ): भारत के राजपत्र में दिनांक 7 नवंबर, 2019 को सं. 354, के तहत अधिसूचित इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करने और प्रोत्साहन देने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह नीतिगत रूपरेखा संग्रहण, विघटन और श्रेडिंग गतिविधियों को एक व्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से करने के लिए एक मानक दिशानिर्देश प्रदान करती है। यह नीति संग्रहण, विघटन केन्द्र और स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना के लिए एग्रीगेटर की भूमिकाएं, सरकार, विनिर्माता और मालिक की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति में सरकार द्वारा स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना नहीं की गई है। सरकार की भूमिका सुविधा प्रदाता की है और देश में धातु स्क्रैपिंग के पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधा प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराना है। स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना संबंधी निर्णय वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर उद्यमियों की होती है।

(ङ) और (च): स्क्रैपिंग केन्द्रों को राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इनकी निगरानी की जाती है। इस नीति में कोई अतिरिक्त निगरानी तंत्र की परिकल्पना नहीं की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपालन संबंधी कोई अतिरिक्त दायित्व न हो।

****